

प्रेषण,

श्री राम कुमार,
विशेष संचिक,
उत्तर प्रदेश भासन।

सैवा थे,

संचिक,
कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, सराय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा 17। अनुभाग

विषय:-

मेरी जानकृत राज्य प्रश्नावाद को सीधी उल्लङ्घन करने के लिए बहु अनापातिक प्रभाग पर धिये जाने से इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अधीन आपत्ति नहीं है :-

लेखनम्: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2001।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मेरे धड क्वो का निदेश हुआ है कि मेरी जानकृत राज्य प्रश्नावाद को सीधी उल्लङ्घन करने के लिए बहु अनापातिक प्रभाग पर धिये जाने से इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1। विधानसभा की पंजीकृत संसाधनी का सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
- 2। विधालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3। विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुकूलित जाति/जनजाति के बच्चोंके लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 4। संस्था द्वारा राज्य सरकार से विसी अनुदान की मर्हें नहीं की जाएगी और धर्म पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बैसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद् की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व्यवस्था रद्द हो जाएगी।



Dinesh

-2-

- 151 संस्था भैरवीक स्व शिक्षालितर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य उनमानों तथा अन्य भूतों से कम देतलगान तथा अन्य भूतों नहीं दिये जायेगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा इसी बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त ग्रामीणीय उम्मीद विधालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति छालभूमि उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 उक्त इतों में राज्य सरकार के पूर्व नियोगित के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन यह परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों द्वारा पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा गैर यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की दूँग पा शिक्षण विधालय बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापात्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

राम शुभ्र
विधालय

पु० स०- 68/17/11/15-7-तात्त्विक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही द्वेष्टु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तार प्रदेश, लखनऊ ।
 - 2- मण्डलीय संघुका शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
 - 3- जिला विधालय निरीक्षक, लखनऊ ।
 - 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विधालय, उम्मीद, लखनऊ ।
 - ~~5-~~ प्राचीन, और ऐतिहासिक उम्मीद प्रस्तुत, लखनऊ ।
 - 6- गार्ड फाइल ।

अज्ञा से,

आखिल बन्दु गुप्ता
अनु तात्त्विक



Om Bnel